भारत सरकार

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)

छठा तल, "बी" विंग, लोकनायक भवन,
खान मार्केट,
नई दिल्ली–110003

दिनांकः 19/07/2018

File No. KAU/8/2017/STGMP/SEHRMT/RU-III

सेवा में,

1. प्रमुख सचिव,
   वित्त विभाग,
   मध्य प्रदेश शासन,
   वल्लभ भवन, भोपाल
   (मध्य प्रदेश

2. संचालक,
   संचालनालय स्थानीय निधि संपरीक्षा,
   भोपाल प्रकोष्ठ खण्ड ग,
   द्वितीय तल, सतपुड़ा भवन,
   भोपाल (मध्य प्रदेश)

विषयः दिनांक 12–07–2018 को माननीय उपाध्यक्ष द्वारा संचालक संचालनालय स्थानीय निधि संपरीक्षा भोपाल, मध्य प्रदेश के साथ हुई बैठक का कार्यवृत ।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय पर आयोग के मुख्यालय में दिनांक 12–07–2018 को हुई बैठक का संदर्भ ग्रहण करें । उक्त बैठक का कार्यवृत इस पत्र के साथ सलंग्न कर प्रेषित किया जा रहा है । आपसे अनुरोध है कि बैठक में लिए गए निर्णयों एंवम आयोग द्वारा दिये गये सुझावों पर कार्यवाही करते हुए कार्यवाही रिपोर्ट इस आयोग को एक माह के भीतर उपलब्ध कराने की कृपा करें ।

संलग्नः यथोपरि

भवदीय,

(आर. के. दुबे)
सहायक निदेशक
दूरभाष–24601346

प्रतिलिपिः

1. कुमारी अर्चना उइके
   मकान न. 46, फ्रेण्डस कालोनी,
   खजरी रोड, जिला छिंदवाड़ा,
   (मध्य प्रदेश)–480001

2. एस.ए.एस, एन.आई.सी, एन.सी.एस.टी वेबसाईट में अपलोड करें ।

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

File No. KAU/8/2017/STGMP/SEHRMT/RU-III

विषयः श्री अमित विजय पाठक, संयुक्त संचालक, क्षेत्रीय कार्यालय, स्थानीय निधि संपरीक्षा, जबलपुर (म.प्र.) द्वारा आवेदिका कुमारी अर्चना उइके, C/o श्री नरेन्द्र उइके, 46, फ्रेंड्स कालोनी, खरजी रोड़, छिंदवाड़ा (म.प्र.) को अनुसूचित जनजाति के होने कारण आर्थिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित करने से संबंधित अभ्यावेदन पर आयोग की माननीया उपाध्यक्ष सुश्री अनुसुईया उइके द्वारा दिनांक 12.07.2018 को ली गई बैठक का कार्यवृत्त।

बैठक में उपस्थित अधिकारियों की सूची : संलग्नक 'क'

बैठक की तिथि : 12.07.2018

सुश्री अनुसुईया उइके, माननीया उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में उपरोक्त विषय पर बैठक हुई। सर्वप्रथम आवेदिका कुमारी अर्चना उइके, उप संचालक आवासीय संपरीक्षा को अपना पक्ष रखने हेतु निर्देशित किया गया। आवेदिका ने आयोग को भेजे अपने आवेदन पत्र दिनांक 29.05.2017 एवं 10.06.2018 के अनुसार जानकारी देते हुए श्री अमित विजय पाठक, संयुक्त संचालक, क्षेत्रीय कार्यालय, स्थानीय निधि संपरीक्षा, जबलपुर (म.प्र.) द्वारा कई वर्षों से स्वयं को प्रताड़ित किए जाने का आरोप दोहराया। उन्होंने विभाग द्वारा दिनांक 01.08.2016 से अभी तक वेतन न दिए जाने को अत्याचार की पराकाष्ठा बताया और कहा कि उन्हें अपनी उपस्थिति देने का निर्देश दिया जा रहा है जबकि मध्य प्रदेश शासन के किसी भी विभाग में प्रथम श्रेणी के अधिकारी को अपनी हाजिरी का उपस्थिति पत्रक वरिष्ठ कार्यालय में भेजने का निर्देश/प्रावधान नहीं है। उनका विभाग मध्य प्रदेश स्थानीय निधि संपरीक्षा अधिनियम, 1973 एवं मध्य प्रदेश शासन के स्थानीय निधि संपरीक्षा विभाग के वर्ष 1981 के मैनुअल के अनुसार संचालित होता है। मैनुअल में यह प्रावधान है कि आवासीय संपरीक्षा सहायक संचालक अपने अधीनस्थ कर्मचारी की उपस्थिति रजिस्टर का दैनिक परीक्षण करके उसका संक्षिप्त विवरण क्षेत्रीय सहायक संचालक को मासिक आधार पर भेजेगा। उसके स्वयं की उपस्थिति वरिष्ठ कार्यालय को भेजने का प्रावधान नहीं है। अतः उन्हें वेतन न देकर उनके साथ अन्याय किया जा रहा है। उन्होंने यह भी बताया कि वित्त विभाग, मध्य प्रदेश शासन के प्रमुख सचिव ने उनके बकाया वेतन का भुगतान किए जाने का निर्देश संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा विभाग, भोपाल को दिया है फिर भी उन्हें वेतन नहीं दिया जा रहा

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

है। इससे उन्हें आर्थिक एवं मानसिक वेदना हो रही है। दुर्भावनावश उनके भोपाल स्थित वर्तमान कार्यालय में उनके बैठने हेतु पद के अनुरूप समुचित व्यवस्था भी नहीं की गई है। उन्होंने मांग की कि उन्हें तत्काल और पूरा बकाया वेतन दिलाया जाए और कार्यालय में बैठने की समुचित व्यवस्था की जाए।

विभाग का पक्ष रखते हुए संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा विभाग, भोपाल ने अवगत कराया कि आवेदिका द्वारा उपस्थिति पत्रक न भेजे जाने के कारण उन्हें वेतन नहीं दिया जा सका है। यदि वे उपस्थिति पत्रक दे देती हैं तो उन्हें वेतन का भुगतान कर दिया जाएगा। उन्होंने आवेदिका के समकक्ष एवं वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा अपना उपस्थिति पत्रक भेजे जाने का प्रमाण भी प्रस्तुत किया। उन्होंने यह भी कहा कि आवेदिका के कार्यालय में बैठने के कक्ष से संबंधित शिकायत उनकी जानकारी में पहली बार आई है और वे इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करेंगी।

आवेदिका ने इसके उत्तर में कहा कि यदि अन्य अधिकारियों द्वारा उपस्थिति पत्रक दिया भी जा रहा है तो इस संबंध में शासन के कोई आदेश मौजूद नहीं हैं। प्रथम श्रेणी राजपत्रित अधिकारी के रूप में वे नियमानुसार अपने अधीनस्थों की मासिक उपस्थिति भेजती रही हैं और उसके आधार पर उन कर्मचारियों को वेतन मिलता रहा है तथा पूर्व में स्वयं उन्हें भी वेतन मिलता रहा है। अतः उन्हें उपस्थिति देने के लिए नियमानुसार बाध्य नहीं किया जा सकता है।

आयोग ने संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा विभाग, भोपाल से जानना चाहा कि किस नियम के तहत आवेदिका से उपस्थिति चाही जा रही है और अन्य अधिकारी भी उपस्थिति भेज रहे हैं, इसकी जानकारी दी जाए। संचालक ने आयोग को बताया कि ऐसा विभाग के आदेश के माध्यम से किया जा रहा है तथा शासन के अलग से कोई निर्देश नहीं हैं।

आयोग ने इस बात को अत्यंत गंभीरता से लिया कि लगभग 02 वर्षों से आवेदिका को वेतन का भुगतान नहीं किया गया है और इसकी वजह से उन्हें भारी आर्थिक और मानसिक परेशानी हो रही है। यहां तक कि वित्त विभाग के प्रमुख सचिव के स्पष्ट आदेश के बाद भी बकाया वेतन का भुगतान नहीं किया गया है। यह स्पष्ट रूप से अनुसूचित जनजाति की अधिकारी को प्रताड़ित करने का मामला प्रतीत होता है तथा यदि विभाग तत्काल सुधारात्मक कार्रवाई नहीं करता है तो आयोग अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति(अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के अधीन विभाग प्रमुख के विरुद्ध मामला दर्ज करने की अनुशंसा करने के लिए बाध्य होगा।

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

दोनों पक्षों को सुनने के बाद आयोग निम्नलिखित कार्रवाई किए जाने अनुशंसा करता है:–

1. संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा विभाग, भोपाल द्वारा आवेदिका कुमारी अर्चना उइके को **एक माह के भीतर** 01 अगस्त, 2016 से अभी तक का समस्त बकाया वेतन का भुगतान किया जाए।
2. प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, मध्य प्रदेश शासन आवेदिका को बकाया वेतन के भुगतान किए जाने के अपने आदेश के अनुपालन में कोताही करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों से स्पष्टीकरण मांगें और दायित्व निर्धारित करें।
3. कुमारी अर्चना उइके, उप संचालक आवासीय संपरीक्षा के कार्यालय में बैठने हेतु पद के अनुरूप उचित व्यवस्था की जाए।
4. बकाया वेतन के भुगतान एवं बैठने की व्यवस्था कर आयोग को एक माह के भीतर तत्संबंधी सूचना दी जाए।

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

संलग्नक 'क'

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

File No. KAU/8/2017/STGMP/SEHRMT/RU-III

विषयः श्री अमित विजय पाठक, संयुक्त संचालक, क्षेत्रीय कार्यालय, स्थानीय निधि संपरीक्षा, जबलपुर (म.प्र.) द्वारा आवेदिका कुमारी अर्चना उइके, C/o श्री नरेन्द्र उइके, 46, फ्रेंड्स कालोनी, खरजी रोड़, छिंदवाड़ा (म.प्र.) को अनुसूचित जनजाति के होने कारण आर्थिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित करने से संबंधित अभ्यावेदन पर आयोग की माननीया उपाध्यक्ष सुश्री अनुसुईया उइके द्वारा दिनांक 12.07.2018 को ली गई बैठक का कार्यवृत्त।

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

1. सुश्री अनुसुइया उईके, उपाध्यक्ष
2. श्री आर.के. दुबे, सहायक निदेशक
3. श्री गौरव कुमार, निजी सचिव
4. श्री डी.सी. कटोच, परामर्शक

वित्त विभाग के अधिकारी, मध्य प्रदेश सरकार

श्रीमती विजयलक्ष्मी बारस्कर, संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा

आवेदक

कुमारी अर्चना उईके, आवेदिका